न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :– 141/25

तारीख दायर 9/6/25

मोहन पुत्र नाथू जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी बैरीसाल तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

......................प्रार्थी

बनाम

1. जीतमल पुत्र किशना जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी बैरीसाल तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. लक्ष्मण पुत्र गोरीलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी बैरीसाल तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. शंकर पुत्र मोड़ा जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी बैरीसाल तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)
4. कमलेश पुत्र मन्ना जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी बैरीसाल तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)
5. मांगीबाई पुत्री माधु जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी बैरीसाल तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)

................विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 – 128 रा0ले0रे0एक्ट

–: आदेश :–

दिनांक 30/6/25

प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक **श्री मुकेश कुमार धाकड़ एडवोकेट** प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि **मौजा ग्राम बेरीसाल पटवार हल्का सुखपुरा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 94 पर अंकित आराजी संख्या 112 रकबा 0.0809 हैक्टेयर भूमि** है विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2076–2079 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू–अभिलेख निरीक्षक बिजौलियां खुर्द को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किया जाकर **उक्त मौजा ग्राम बेरीसाल पटवार हल्का सुखपुरा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 94 पर अंकित आराजी संख्या 112 रकबा 0.0809 हैक्टेयर भूमि** बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100 /– रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावें।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

पण्डित दीनदयाल उपाध्याय
अन्त्योदय संबल पखवाड़ा 2025

FORM NO. III

फर्द अहकम

नियम 26

Crim I

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियां, भीलवाड़ा

मोहन बनाम जीतमल

किस्म मुकदमा 111-128 प्रकरण संख्या 141 सन् 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
9/6/2025	प्रार्थना–पत्र सीगे से बाद जांच पेश हुआ। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों की तलबी जरिये सम्मन मय नकल प्रार्थना–पत्र, विपक्षीगणों को भेजी जावें। पत्रावली आगामी पेशी दिनांक 20/6/2025 को वास्ते तलबी/जवाब पेश हों। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां	
20/6/25	पत्रावली पेश हुई। समस्त विपक्षी की बाद तामील प्राप्त हुई, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षी बाद सूचना अनुपस्थित। विपक्षी के विरुद्ध एक-पक्षीय आदेश पारित किए गए। पत्रावली वास्ते निर्णय आगामी दिनांक 30/6/25 को पेश हो।	
30/6/25	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में आदेश पारित किए गए। पत्रावली जवाब से खत्म होकर, दाखिल दफ्तर हो। शिविर प्रभारी [illegible] अभियान [illegible] 2025, बिजौलियां	